दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध आधिकारिक शिकायतें

1844. **श्री राम नरेश यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 3 वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध आधिकारिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच किसी गैर विभागीय एजेंसी से करवायी है ; और

(घ) अब तक की गयी जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम क्या-क्या हैं और उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के समूह "क" तथा "ख" अधिकारियों के विरुद्ध 121।

(ग) गैर विभागीय अभिकरणों द्वारा 16 शिकायतें पंजीकृत की गई थीं और आठ शिकायतें स्वयम् दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन्हें भेजी थीं।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गैर विभागीय अभिकरणों को जांच के लिए भेजे गये मामलों में दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम

क्र०सं० नाम व पदनाम	जांच अभिकरण की सिफ़ारिश	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई
1. श्री जे०के० मधोक उपनिदेशक	विभागीय कार्रवाई	जांच अभिकरण की रिपोर्ट विचाराधीन है।
2. श्री के०सी० कपूर लेखा अधिकारी	भारी दण्डनीय कार्रवाई	यह मामला सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जा रहा है।

स्वयम् विभागीय अभिकरणों द्वारा पंजीत मामलों में दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम

क्र०सं० नाम व पदनाम	जांच अभिकरण की सिफ़ारिश	की गई कार्रवाई
1. (क) श्री जे०के० वार्ष्णेय भूतपूर्व इंजीनियर सदस्य	भारी दण्ड	आरोप समाप्त किये गये।
(ख) श्री प्रेम कुमार भूतपूर्व उपाध्यक्ष	भारी दण्ड	विभागीय जांच प्रगति पर है।
2. श्री सोम प्रकाश उप निदेशक	विभागीय कार्रवाई जैसे भी नियोक्ता प्राधिकारी उचित समझे, की सिफ़ारिश की गई	मामले की जांच की जा रही है।
3. श्री मोहन सिंह अधीक्षक	भारी दण्डनीय कार्रवाई	पूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुये हैं, जिसे वापस करने के लिए एस० पी०सी०बी०आई० से कहा गया है।
4. श्री पी०एम० पराते, उप निदेशक	विभागीय कार्रवाई	मामला जांचाधीन है।